अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन-पुलिस की बड़ी कार्रवाई

6 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और लोडर जब्त

नवभारत न्यूज

भिंड 18 जुलाई. जिले में अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं पर शिकंजा कस दिया। ग्राम

▶ बरोही थाना प्रभारी और सायबर सेल प्रभारी की सूचना पर बछरेटा में संयुक्त कार्रवाई,

बछरेटा क्षेत्र में की गई संयुक्त कार्रवाई में अवैध रेत से भरी 6 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, रेत भरने में प्रयुक्त एक लोडर मशीन तथा बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

एसपी सूरज वर्मा के निर्देशन तथा एएसपी प्रदीप पटेल एवं मेहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई थाना अमायन पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

सूचना मिलते ही रात में पहुंची टीम

विश्वसनीय सूचना बरोही थाना प्रभारी अतुल सिंह भदौरिया एवं सायबर सेल प्रभारी सत्यवीर सिंह को प्राप्त हुई कि ग्राम बछरेटा के समीप बड़े पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही दोनों अधिकारी पुलिस टीम के साथ देर रात मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस को देखकर रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालक वाहन और लोडर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मौके पर जांच के दौरान छह ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रेत से भरी मिलीं। इसके अलावा रेत भरने में प्रयुक्त एक लोडर मशीन भी जब्त की गई। सभी जब्त वाहन थाना अमायन परिसर में सुरक्षित रखे गए हैं। संयुक्त टीम ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से भंडारित रेत के डंप भी चिन्हित कर जब्त किए। इस कार्रवाई के संबंध में थाना अमायन में अपराध क्रमांक 38/2026 पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) एवं 317(5) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका

संयुक्त कार्रवाई में तहसीलदार मेहगांव मनोज धाकड़, माइनिंग इंस्पेक्टर अश्वनी मिश्रा, अमायन थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश शर्मा, बरोही थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया, सायबर सेल प्रभारी/सउनि सत्यवीर सिंह, प्रधान आरक्षक अजय सिंह, योगेंद्र, प्रमोद परासर, त्रर्वेन्द्र सिंह, आरक्षक राहुल यादव, रितिक यादव, अभिमन्यु सिंह तोमर, धर्मेन्द्र, रामसहाय गुर्जर सहित पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

करणी सेना ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, रौन थाना प्रभारी को हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग

नवभारत न्यूज

भिंड 18 जुलाई. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्यप्रदेश के जिला अध्यक्ष डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने एएसपी प्रदीप पटेल को ज्ञापन सौंपकर रौन थाना क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच

▶ किसानों के साथ अभद्र व्यवहार, झूठे मुकदमे और अवैध उत्खनन से जुड़े मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने की उठाई मांग

कराने तथा रौन थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। संगठन का आरोप है कि थाना क्षेत्र में किसानों एवं आम नागरिकों के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किया गया तथा कुछ मामलों में झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

ज्ञापन में संगठन ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिससे आमजन का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

शिकायत के बाद कार्रवाई का आरोप

संगठन ने ग्राम मड़ैयन निवासी सोनू चौहान के मामले का भी उल्लेख किया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उन्होंने कथित अवैध उत्खनन की शिकायत जिला प्रशासन से की थी, जिसके बाद रौन थाना पुलिस ने उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। संगठन का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

महादेव सिंह के मामले का भी उठाया मुद्दा

ज्ञापन में ग्राम बिरोना इंदुर्खी निवासी महादेव सिंह से जुड़े प्रकरण का भी उल्लेख किया गया। संगठन का आरोप है कि उनके विरुद्ध दर्ज मामलों के बाद उनकी सामाजिक छवि प्रभावित करने का प्रयास किया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने के बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया।

मानगढ़ प्रकरण का किया उल्लेख

ज्ञापन के अनुसार संगठन ने ग्राम मानगढ़ में 14 दिसंबर 2025 को हुई घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि गांव के लगभग 25 किसानों की निजी भूमि पर कथित रूप से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। किसानों द्वारा विरोध किए जाने पर पुलिस बल बुलाकर उनके साथ लाठीचार्ज एवं अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। संगठन का यह भी दावा है कि घटना के वीडियो बनाने का प्रयास करने वाले कुछ लोगों के मोबाइल फोन पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिए गए थे, जिन्हें बाद में वापस किया गया।

ये प्रमुख मांगें रखीं

करणी सेना ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि—

- रौन थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
- सभी संबंधित प्रकरणों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं तो उनकी विधिसम्मत जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।
- किसानों की निजी भूमि को सरकारी भूमि बताकर किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन न कराया जाए।
- अवैध उत्खनन एवं अन्य मामलों में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान करणी सेना के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 17.87 करोड़ की लागत से बन रहे तीन आधुनिक हॉस्टल

नवभारत न्यूज

भिण्ड 18 जुलाई. औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में अपने घरों से दूर रहकर कार्य करने वाली महिला कर्मियों के लिए जल्द ही सुरक्षित एवं

▶ तीन ब्लॉक में रहेंगी 366 महिला कर्मचारी

व्यवस्थित आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए आधुनिक हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। निगम का लक्ष्य वर्ष 2027 की पहली तिमाही में यह सुविधा शुरू करने का है।

एमपीआईडीसी के अधिकारियों के अनुसार हॉस्टल निर्माण का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्माण कार्य पूरा कर महिला कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

हॉस्टल परिसर में तीन अलग-अलग ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक तीन मंजिला होगा और उसमें 122 महिला कर्मियों के रहने की व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार कुल 366 महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 17.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

यह सुविधा विशेष रूप से उन महिला कर्मचारियों के लिए होगी, जो अपने परिवार से दूर रहकर मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। जो महिलाएं अपने परिजनों के साथ रह रही हैं, वे इस योजना की पात्र नहीं होंगी। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास वर्ष 1990 के दशक में शुरू हुआ था। वर्तमान में यहां 190 से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, जिनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 हजार श्रमिक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन आवागमन करती हैं, जबकि कई महिलाएं किराये के मकानों में अकेले रहने को विवश हैं। महिला कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एमपीआईडीसी ने इस हॉस्टल परियोजना को प्राथमिकता दी है। एमपीआईडीसी के सहायक अभियंता नारायण प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में अकेले रहकर काम करने वाली महिला कर्मियों को आवास की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है।

निकाय और पंचायत चुनाव में सेवादल कार्यकर्ताओं को मिलेगा अवसर : अवनीश

भिंड 18 जुलाई. प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने कहा कि कांग्रेस सेवादल देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ा संगठन रहा है और भविष्य में भी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में सेवादल के कार्यकर्ताओं को अवसर दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा संगठन की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वे दंदरौआ धाम में आयोजित जिला कांग्रेस सेवादल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

स्कॉर्पियो-बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत, युवती गंभीर घायल

नवभारत न्यूज

लहार 18 जुलाई. लहार बाईपास स्थित जमुंहा चौराहे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण व राहगीर मौके पर एकत्र

▶ लहार बाईपास पर दर्दनाक हादसा

▶ एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, ग्रामीणों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया; जमुंहा, भटपुरा और बेसपुरा चौराहे लगातार बन रहे हादसों का कारण

हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य में गंभीर लापरवाही देखने को मिली। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण घायल काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे और अंततः स्थानीय लोगों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर उन्हें

अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार, 24 वर्षीय अभिषेक पुत्र राम मिलन निवासी जैतपुरा, 16 वर्षीय राज पुत्र नेपाल यादव निवासी परासनी (उत्तर प्रदेश) तथा 20 वर्षीय प्रिंसी पुत्री नेपाल सिंह बाइक से लहार होते हुए गिरवासा गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक लहार बाईपास स्थित जमुंहा चौराहे के पास पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सवार कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे।

हादसे में अभिषेक और राज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रिंसी दर्द से कराहती रही। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने टायर फटने का हवाला देकर मौके पर आने में असमर्थता जताई। इसके बाद आसपास के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए एक निजी वाहन से घायल युवती को लहार अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया।

घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचे कुछ पुलिसकर्मी तत्काल राहत कार्य कराने के बजाय घटना के वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है तथा स्कॉर्पियो और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है।

बाईपास के तीन चौराहे बन चुके हैं मौत का कारण

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लहार बाईपास के जमुंहा, भटपुरा और बेसपुरा चौराहे लंबे समय से हादसा संभावित क्षेत्र बने हुए हैं। इन स्थानों पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही, पर्याप्त चेतावनी संकेतों का अभाव, स्पीड ब्रेकर नहीं होना और ट्रैफिक नियंत्रण की कमी के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे अधिक नुकसान बाइक सवारों को उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इन चौराहों पर तत्काल स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, हाई-मास्ट लाइट, चेतावनी बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे और नियमित पुलिस तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली की जांच कर यह भी पता लगाया जाए कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बावजूद समय पर सहायता क्यों नहीं पहुंच सकी। यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यदि समय पर राहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध होती, तो घायलों को और शीघ्र उपचार मिल सकता था।

एसआरएफ तिराहा पर मजिस्ट्रियल वाहन चेकिंग अभियान, 14 वाहनों पर कार्रवाई

नवभारत न्यूज

भिंड 18 जुलाई. सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से थाना मालनपुर पुलिस एवं

17,500 रुपए का समन शुल्क वसूला

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रूप से भिंड-ग्वालियर हाईवे स्थित एसआरएफ तिराहा, मालनपुर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों सहित अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 14 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 17,500 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया।

यह कार्रवाई जेएमएफसी गोहद न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक दीक्षित की उपस्थिति में संपन्न हुई। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में भी जागरूक किया गया। पुलिस एवं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के संयुक्त चेकिंग अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

नशे से दूरी है जरूरी अभियान जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

नवभारत न्यूज

मेहगांव 18 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के मार्गदर्शन में संचालित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत मेहगांव थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने उपस्थित नागरिकों एवं युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई तथा कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज की खुशियों को भी छीन लेता है।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान चलाया गया

नवभारत न्यूज

मेहगांव 18 जुलाई. शासकीय महाविद्यालय, मेहगांव की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों, गतिविधियों एवं सामाजिक दायित्वों से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. शशिबल्लभ शर्मा, जिला संगठक, राष्ट्रीय सेवा योजना, मुरैना रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। उन्होंने बताया कि एनएसएस युवाओं में सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की भावना विकसित करती है। उन्होंने स्वयंसेवकों से राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल मंत्र 'स्वयं से पहले आप' को आत्मसात करते हुए समाज सेवा एवं जनजागरण गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. आर. के. डवरिया ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गिरिजा नरवरिया ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों, विशेष शिविर, सामुदायिक सेवा कार्यों तथा स्वयंसेवकों के दायित्वों की जानकारी प्रदान की।

विशेष लोक अदालत लगी

भिंड. विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय भिंड के साथ-साथ न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार में किया गया। मामलों के प्रभावी निराकरण के लिए जिला मुख्यालय भिंड में तीन, मेहगांव में दो, गोहद में दो तथा लहार में एक खंडपीठ का गठन किया गया। इस प्रकार जिलेभर में कुल आठ खंडपीठों ने कार्य किया।

दिव्यांश भारद्वाज को नीट परीक्षा में मिली 4312 रैंक

नवभारत न्यूज

गोहद 18 जुलाई. दिव्यांश भारद्वाज द्वारा नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक सामान्य वर्ग 4312 प्राप्त कर गोहद को किया गौरवान्वित

गोहद नगर के प्रतिष्ठित भारद्वाज परिवार के दिव्यांश भारद्वाज द्वारा एमबीबीएस प्रवेश हेतु आयोजित नीट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर समान से 4312 रैंक प्राप्त कर गोहद नगर को गोर्बान्वित किया है दिव्यांश भारद्वाज पीएम श्री विद्यालय गोहद नगर के प्रभारी प्राचार्य धर्मेंद्र भारद्वाज के सुपुत्र और सुहास ग्राम निवासी रामजीलाल भारद्वाज के पोत्र हैं दिव्यांश भारद्वाज की इस सफलता पर उनके बाबा रामजीलाल भारद्वाज नाना अविनाश भाटेले ताऊजी आचार्य बृजमोहन भारद्वाज प्रधानाध्यापक सांदीपनि विद्यालय गोहद श्याम किशोर भारद्वाज खंड शिक्षा अधिकारी गोहद डॉक्टर जागेश्वर भारद्वाज चाचा हेमंत दुबे हरिओम श्रीवास्तव प्रदीप भारद्वाज इंद्रजीत भारद्वाज मामा कौशल भटेले डॉक्टर आशुतोष भटेले डॉक्टर भरत भाटेले गौरव भटेले डॉ जितेंद्र भटेले ने बधाई दी. अपनी सफलता के अवसर पर कहां है कि मुझे यह सफलता मेरे पारिवारिक ज और हितेशियों गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है.

पूर्व विधायक रणवीर शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हुए

नवभारत न्यूज

मालनपुर 18 जुलाई. दुख की घड़ी में नेता कैसा होना चाहिए, इसकी मिसाल शनिवार को भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने पेश की। क्षेत्र में लगातार हो रही दुखद घटनाओं के बाद श्री जाटव शोक संतृप्त परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।पूर्व विधायक सबसे पहले गोहद के वार्ड क्रमांक 5 स्थित रठियन का पूरा पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्गीय नरेश विमल के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की।

नरेश विमल का परिवार उज्जैन में रहता था। कुछ समय

पहलेउनका और उनकी पत्नी का निधन हो गया था। घर में दो बेटियां और एक बेटा था। बीते दिनों पानी में डूबने से इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ दो बेटियां बची हैं।बड़ी बेटी उज्जैन के नवोदय विद्यालय में शिक्षिका है, जबकि छोटी बेटी उसी विद्यालय में पढ़ाई कर रही है।

पूर्व विधायक ने तत्काल दो बड़े आश्वासन दिए- उज्जैन में नौकरी कर रही बड़ी बेटी का ट्रांसफर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में कराने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई कर रही छोटी बेटी को भी उज्जैन से ग्वालियर नवोदय विद्यालय में शिफ्ट कराया जाएगा ताकि दोनों बहनें एक साथ रह सकें।इसी दौरान श्री जाटव ने फोन पर नवोदय विद्यालय प्रबंधन से बात भी की.

शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद जब श्री जाटव वहां से निकले तो पूरे क्षेत्र में उनके इस मानवीय कदम की चर्चा होने लगी। ग्रामीणों ने कहा कि * 'नेता हो तो रणवीर जाटव जैसा हो' * जो सुख-दुख में जनता के साथ खड़ा रहता है।

राजनीति से ऊपर उठकर मानवता की मिसाल

कहा जा रहा है कि चुनाव हार-जीत से ऊपर उठकर श्री जाटव ने साबित किया कि जनसेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस अवसर पर कमल सिंह तोमर, मलखान सिंह राजावत, सुल्तान सिंह जाटव जिला पंचायत सदस्य,सामंत सिंह गुर्जर सरपंच, सिप्पो सिंह गुर्जर, धर्मेंद्र सिंह तोमर आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथ में रहे

CHANGED OF NAME

I, HITHERTO known as Vivah D/o Rajkumar R/o Gram Jamhoura Post Kharika Bhind Bhind Madhya Pradesh 477001 have changed my name and shall hereafter be known as **Vibha.** The information I provided is correct.

CHANGED OF NAME

I, Brajendra S/o Laxman R/o Ward No 2 Gram Kashi Ka Pura Post Kachongra Bhind Bhind Madhya Pradesh-477001, have changed the name of my minor Daughter Gudiya Devi aged 16 years and he shall hereafter be known as **Anamika.** It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र.

कं./क्यू/एडीएम/वि.पंजी. भिण्ड, दिनांक : 24.06.2026
प्र.क्र. 0011/बी-121/2026-27/9867

।।इश्तहार ।।

आवेदक रामदत्त कुशवाह पुत्र रामप्रकाश कुशवाह नि. ग्राम मेहदौली तहसील गोरमी जिला भिण्ड म.प्र. के द्वारा का शपथपत्र एवं सूची दस्तावेज पेश कर उनका विवाह आवेदिका श्रीमती पूनम कुशवाह पुत्री स्व. श्री होतम कुशवाह पत्नी स्व0 श्री विनोद कुशवाह के साथ दिनांक 25.03.2026 को सामूहिक विवाह सम्मेलन हिन्दू रीतिरिवाज से सम्पन्न हुई थी। एवं उनके द्वारा दिनांक 17:04.2026 नगर पालिका गोहद में विवाह पंजीयन क्रमांक RS/420/2307/379/2026 दिनांक 17.04.2026 को दर्ज करया गया है। आवेदक को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आवेदकगण द्वारा उक्त विवाह के संबंध में हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। उन्होंने यह भी शपथपूर्वक लिखा है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्न शतें पूरी की जा रही हैं। 1. पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और वे तब से निरन्तर पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। 2. किसी पक्षकार का एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है। 3. कोई पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय जढ़ या पागल नहीं है। 4. पक्षकारों ने रजिस्ट्रीकरण के समय 21 वर्ष एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। 5. पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की कोई नातेदारी नहीं है। 6. पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर तारीख के ठीक पहले, जब. विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विवाह अधिकारी को किया हो कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हैं। एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है। उक्त विवाह पंजीयन के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति/ जानकारी/ आवेदन इस प्रकरण में यह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सासरी आपत्ति लिखित / मौखिक दोनों रूपों में स्वंय उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्तारियार्ता अधिकारी के भिण्ड स्थित न्यायालय में न्यायालयीन समय पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

विवाह अधिकारी
एवं अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड म.प्र.